

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

मुंज 17/16 तारीख रजु 3-5-16

उत्पान - शानी बनाम ठण्डी मीना जोपालपुरा  
 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्राथी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा सिक ने प्रार्थना  
 पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। आप पत्र व दस्तोवेगन  
 का अदलो कज किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर  
 कर अप्राथीगठ को नोटिस से तलब कर दिनांक  
 9.5.16 को पेश हो

147  
 3-5-16


  
 उपजिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (बरेली)

18/7/16


पत्रावली जगरल पेशी से पेश हुई। दादी वकील उप।  
 प्राथी की ओर से श्री रामप्रसादी गुहा सिक ने कफालत  
 माग्रा पेश किया। वही जखर दिनांक 21.7.16 को पेश

हो। 


21.7.16

वकुलाय उप। जखर पेश करने समय चाहा। दिया गया  
 वही जखर दवा दिनांक 9.8.16 को पेश हो। 


9-8-16

वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी मीठामे भरतपुर  
 है। गतानुसार दिनांक 24-8-16 को पेश हो।  


24-8-16

वकुलाय उप। गतानुसार दिनांक 8.9.16 को पेश हो। 

8.9.16

वकुलाय उप। जखर पेश करने दिनांक 20.9.16  
 को पेश हो। 

## न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
२०-९-१६	नकुलाय उपस्थित / अशर्ती वकील ने जवाब पेश किया। अशर्ती वकील को जकल दिलायी गयी। मिसल में शामिल किराजया परिशु बटस डि २०-९-१६ को पेश हो।
२९-९-१६	वकुलाय उपण बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक ६-१०-१६ को पेश हो।
६-१०-१६	वकुलाय उपण पत्रावली आदेश में निपतकी प्रार्थी का अर्थनापत्र आस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पत्रक से लिखाया जाका शामिल रकिपा पत्रावली फैलल शुमाट हाका जभा लि कम लेख दाया पत्रावली के साथ संलग्न रहे।